Email Id-dfoagra@gmail.com
Ph No.-0562-2331297

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांकः 1160 /14–1 आगरा : दिनांक 04, सितम्बर, 2019

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक,
ग्रीन गैस लि0
संजय प्लेस, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में ग्रीन गैस लि0 आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–02 के कि0मी0 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) तक मार्ग की बांयी पटरी के किनारे गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षे0का0 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/09/40/2019/एफ0सी0/263 दिनांक 21.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 1.168 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि रू0 1794925.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री प्रेषित करें।

3(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 365584.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री प्रेषित करें।

ग. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता के व्यय पर किया जायेगा इस हेतु डी0डी0 जो "**प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा** के नाम देय हो जमा कराना होगा।

ग्रीन गैस लिमिटेड
आगरा
05 SEP 2019
प्राप्त किया

com-3/dmbabuji/letter-15/418

Email Id-dfoagra@gmail.com
Ph No.-0562-2331297

5. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि स्वीकृत ले आउट प्लान में कोई परिवर्तन बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पाइप लाइन के बिछाने के बाद गढढा भरान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में शपथ पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।

11. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि राज्य सरकार तथा भारत सरकार के वर्तमान तथा भविष्य में लागू समस्त नियमों का पालन किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

13. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी एत्मादपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर पिलरों की संख्या एवं धनराशि से तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण पर अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित की जा सके।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।